ykd ikf/kdj.k }kjk lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e 2005 dh /kkjk&4¼1½ ¼ch½ d vUrxr okfNr lpuk

कार्यालय का नामः प्राविधिक शिक्षा परिषद, 1 गुरू गोविन्द सिंह मार्ग, बांसमंडी चौराहा, चारबाग, लखनऊ।

(i) l?kVu dh fof'k"V;k] dR; vkj drO;

प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ का गठन भारतीय संविधान की धारा–348 (3) के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा अधिनियम 1962 संख्या–xvii द्वारा 23 नवम्बर 1962 किया गया है। परिषद के सभापति, उपसभापति सहित कुल 40 सदस्य होते हैं जिसमें माननीय विधायक गण, प्रमुख विभागों के पदेन अधिकारी, तकनीकी संस्थाओं के शिक्षाविद तथा उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल हैं। प्राविधिक शिक्षा परिषद के प्रमुख कार्य निम्नवत् हैः–

प्राविधिक शिक्षा अधिनियम 1962 के अनुच्छेद–12 में प्राविधिक शिक्षा परिषद के कृत्य एवं कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार

(i) to affiliate institutions and prescribe courses of study and instructions leading to examinations conducted it ;

(ii) to prescribe standards for buildings and equipment of affiliated institutions ;

(iii) to prescribe educational qualifications and other standards for the members of staff of affiliated institutions ;

(iv) to prescribe educational qualifications for admission of students to affiliated institutions ;

(v) to prescribe the manner of admission of students to affiliated institutions ;

(vi) to admit candidate to examinations conducted by it ;

(vii) to conduct examinations for promotion from lower to higher classes and also for awarding certificates and diplomas ;

(viii) to publish results of examinations conducted by it ;

(ix) to grant certificates and diplomas to students who have completed the prescribe course of study in an affiliated institution and have passed the examinations conducted by it ;

(x) to co-operate with other authorities and bodies in such manner and for such purpose as may be necessary for giving effect to the provisions of this act ;

(xi) to advise the State Government on coordinated development of technical education and training regarding the same ;

(xii) to do all other such acts and things as may be necessary for the proper discharge of its functions under this Act or the rules or regulations made there under ; and

(xiii) to carry out such other duties as may be imposed upon it under this Act or the rules or regulations made there under.

¼2½ vf/kdkfj;k ,o deZpkfj;k dh 'kfDr;k ,o drZO;

प्राविधिक शिक्षा परिषद के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी प्राविधिक शिक्षा अधिनियम 1962 में निहित कृत्य एवं कर्तव्यों का अनुपालन सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार सम्पादित करते हैं। सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद के कर्तव्यों का विवरण प्राविधिक शिक्षा अधिनियम 1962 के अनुच्छेद–17 में वर्णित है जो निम्नवत् हैः–

17- The Secretary shall be the Chief Executive Officer of the Board and shall, subject to the superintendence, control and directions of the Board, be responsible for the execution of its decisions. He shall exercise some other powers and

(a) be responsible for the preparation of the estimates of accounts annual assessments of income and expenditure ;

(b) be responsible for ensuring that all moneys allotted to the Board are spent for the purposes for which they are allotted ;

(c) be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board ; and

(d) be entitled to be present at the meetings of the Board and take part in the proceedings, but shall have no right to vote.

¼3½ fofu'p; dju dh ifØ;k e ikyu dh tku okyh ifØ;k] ftle i;Zo{k.k ,o mRrjnkf;Ro d ek/;e lfEefyr g

प्राविधिक शिक्षा परिषद का प्रमुख कार्य परिषद से सम्बद्ध संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के परीक्षाओं का सम्पादन करना एवं अर्ह प्रशिक्षार्थियों को डिप्लोमा प्रमाणपत्र प्रदान करना है जिसके लिये संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों के परीक्षा आवेदनपत्र प्राप्त करना, परीक्षा सम्पादन हेतु प्रश्नपत्रों का निर्माण, मुद्रण कराना, आवश्यक लेखन सामग्री का मुद्रण कराना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा सम्पन्न कराना, उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना, प्राप्तांकों के आधार पर परीक्षाफल तैयार करना, परीक्षाफल घोषित करना, अंकपत्र एवं डिप्लोमा प्रमाणपत्रों के निर्गत किये जाने हेतु विभिन्न आवश्यक प्रक्रियाओं का निष्पादन करना।

उपरोक्त वर्णित प्रक्रियाओं के निष्पादन हेतु प्रत्येक स्तर पर पर्यवेक्षण का कार्य सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किया जाता है और सुसंगत ढंग से कार्य निष्पादित किया जाता है। उपरोक्त कार्य अधिनियम–1962 यथासंशोधित 1974 एवं इसकी विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत निर्मित, उत्तर प्रदेश

प्राविधिक शिक्षा (प्रवेश, परीक्षाओं का संचालन और प्रमाणपत्र और डिप्लोमा का प्रदान किया जाना है) विनियमावली 1962, एवं सरकार से सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा संस्था विनियमावली 1996 तथा उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समितियों उपसमितियों, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली 2000 तथा समय–समय पर शासन से निर्गत आदेशों के प्राविधानों के अनुरूप कार्य निष्पादन सुनिश्चित कराया जाता है

¼4½ dR;k d fuokgu gr Lo; }kjk fu/kkfjr ekieku

प्राविधिक शिक्षा अधिनियम एवं उसमें निहित प्राविधान के अनुसार तैयार विनियमावलियों के द्वारा निर्धारित कृत्यों के निर्वाहन हेतु समय–समय पर शासन द्वारा शासनादेश निर्गत होते हैं जिसके अनुसार कार्यवाही सम्पादित की जाती है साथ ही समयान्तर्गत समय सारिणी के अनुसार परीक्षाओं आदि का सम्पादन, परीक्षाफल घोषित किया जाना एवं डिप्लोमा वितरण की कार्यवाही सम्पादित करने की प्रक्रियाएं निर्धारित मापमान के अन्तर्गत सम्मिलित हैं।

¼5½ depkfj;k }kjk viu dR;k d fuokgu gr i;kx fd; x; fu;e] fofu;e]vun'k] funf'kdk vkj vfHky[k

प्राविधिक शिक्षा परिषद के कर्मचारियों द्वारा धारित कृत्यों के निर्वाहन के लिये प्राविधिक शिक्षा अधिनियम 1962 के अन्तर्गत तैयार किये गये निम्न विनियमावलियों/ अनुदेशों आदि का प्रयोग किया जाता है। साथ ही कर्मचारियों के नियुक्ति पदोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों से सम्बन्धित प्राविधिक शिक्षा परिषद कर्मचारी सेवानियमावली का प्रयोग किया जाता है:–

1. उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (प्रवेश, परीक्षाओं का संचालन और प्रमाणपत्र और डिप्लोमा का प्रदान किया जाना) विनियमावली–1992
2. सरकार से सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा संस्था विनियमावली 1996
3. उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समितियां और उपसमितियां, संस्थाओं का सम्बद्धीकरण) विनियमावली 2000

¼6½ ,l nLrkost k dh J.kh dk fooj.k] tk mud }kjk /kkfjr fd; x; g vFkok mud fu;=.k e g

प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बन्धित कार्यों के निस्तारण हेतु परिषद कार्यालय में निम्न अनुभाग बनाये गये हैं जिनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा धारित किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण भी उल्लिखित है:–

1. vuHkkx&1 परिषद द्वारा सम्पन्न करायी जाने वाली परीक्षाओं से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की लेखन सामग्रियों को मुद्रित कराकर संस्थाओं एवं सम्बन्धित अनुभागों को उपलब्ध कराये जाने का कार्य। तत्सम्बन्धी दस्तावेजों का रख–रखाव।

2. vuHkkx&2 परिषद से सम्बन्धित संस्थाओं में परीक्षा व्यवस्था को सम्पादित करने के लिये आवश्यक प्रश्नपत्रों का निमार्ण, माडरेशन एवं मुद्रण का कार्य सम्बन्धित अनुभाग द्वारा कराया जाता है। तत्सम्बन्धी अभिलेखों का रख–रखाव एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख।

3. vuHkkx&3 परिषद से सम्बन्धित परीक्षाओं के सम्पादन के उपरांत उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन परीक्षाफल निर्माण, अंकपत्रों आदि का निर्माण कार्य एवं स्क्रूटनी कार्य।

4. vuHkkx&4 परिषद से सम्बन्धित प्रयोगात्मक परीक्षाओं से सम्बन्धित कार्य एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख।

5. vuHkkx&5 प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा डिप्लोमा प्रमाणपत्र हेतु अर्ह घोषित छात्र/छात्राओं के डिप्लोमा प्रदान किये जाने का कार्य एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख तथा उद्योगों एवं अन्य विभागों की मांग पर परिषद द्वारा प्रदान किये गये डिप्लोमा का सत्यापन किया जाता है।

6. vuHkkx&6 संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के परीक्षा हेतु पंजीकरण सम्बन्धी कार्यवाही तथा सैत्रिक अंको के रख–रखाव सम्बन्धी कार्य एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख।

7. ifj"kn vuHkkx परिषद से सम्बद्ध राजकीय, राजकीय सहायता प्राप्त, निजी क्षेत्र मे स्थापित संस्थाओं से सम्बन्धित पत्राचार एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के गठन एवं परिषद की बैठक तथा नई संस्थाओं के स्थापना आदि से सम्बन्धित कार्य एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख।

8. dEI;Vj vuHkkx पंजीकृत छात्रों के सम्बन्ध में विभिन्न सूचनाओं को कम्प्यूटरीकृत किया जाना, परीक्षाफल निर्माण का कार्य एवं डिप्लोमा निर्माण आदि का कार्य तथा परिषद के समस्त अनुभागों से सम्बन्धित कम्प्यूटर के कार्य।

9. LFkkiuk vuHkkx परिषद कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का रख–रखाव एवं तत्सम्बन्धी कार्य।

10. y[kkuHkkx परिषद कार्यालय हेतु शासन द्वारा आवंटित धनराशि वित्तीय नियमों के अनुसार अहारण/वितरण सम्बन्धी कार्य एवं तत्सम्बन्धी अभिलेखों का रख–रखाव।

11. LVkj vuHkkx प्राविधिक शिक्षा परिषद के विभिन्न अनुभागों के कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति हेतु क्रय एवं आपूर्ति का कार्य तथा तत्सम्बन्धी अभिलेखों का रख–रखाव।

12. dkVdl idk"B प्राविधिक शिक्षा परिषद के विरूद्ध योजित वादों के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही किये जाने का कार्य एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख।

13. lpuk vf/kdkj idk"B सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार परिषद से सम्बन्धित मांगी गयी सूचनाओं को प्रदान किया जाता है।

7- fdlh 0;oLFkk dk fooj.k ftlesa mldh uhfr fuekZ.k vFkok mlds dk;kZUo;u ds lEca/k esa yksd lnL;ksa ds lkFk ijke'kZ ;k mudss }kjk vH;kosnu ds fy;s fo|eku gS

प्राविधिक शिक्षा अधिनियम 1962 यथासंशोधित 1979 की धारा–4 के अन्तर्गत परिषद का गठन किया गया है जिसमें लोक सदस्यों को परामर्श हेतु सदस्य के रूप में प्राविधानित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बन्धित समस्त कार्यों के सम्पादन हेतु प्राविधिक शिक्षा अधिनियम 1962 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार समितियों के गठन करने का प्राविधान है जिसके अन्तर्गत नोटिफिकेशन संख्या–परिषद–दो(3)/6114, दिनांक 28/09/2000 द्वारा उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा (समितियां एवं उपसमितियां, संस्थाओं का सम्बद्धीकरण) विनियमावली 2000 में विभिन्न समितियों का वर्णन किया गया है जिसमें परीक्षा समिति, परीक्षाफल समिति, पाठ्यचर्या समिति सहित प्राविधिक शिक्षा परिषद में लोक सदस्यों को परामर्श हेतु सदस्य के रूप में प्राविधानित किया गया है।

8- cksMZ] ifj"knksa] lfefr;ksa vkSj vU; fudk;ksa ds fooj.k ftlesa nks vFkok nks ls vf/kd 0;fDr gksa vkSj ftldh LFkkiuk blds Hkkx ds :i esa vFkok blds lykg ds iz;kstu ds fy;s dh xbZ gks] vkSj ;g fooj.k fd D;k bu cksMksZa] ifj"knksa] lfefr;ksa rFkk vU; fudk;ksa dh cSBd yksxksa ds fy;s [kqyh gS] vFkok cSBd ds dk;ZoRr yksxksa ds fy;s lqyHk gS

प्राविधिक शिक्षा परिषद की बैठकों के कार्यवृत्त लोगों के लिये सुलभ होते हैं। बैठकों के कार्यवृत्त को एक पुस्तिका के रूप में तैयार कर प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं परिषद के विभिन्न सदस्यों को यथासमय आवश्यक संदर्भ हेतु प्रेषित कर दिया जाता है किन्तु अभिलेख के रूप में इनको सुरक्षित रखा जाता है।

9- viuss vf/kdkfj;ksa vkSj deZpkfj;ksa dh funsZf'kdk

प्राविधिक शिक्षा परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारी प्राविधिक शिक्षा अधिनियम 1962 में दी गयी व्यवस्था एवं इसकी विभिन्न धाराओं विशेषकर धारा–23 के अधीन निर्मित विभिन्न विनियमावलियों के अनुसार परिषद कार्यो का सम्पादन होता है।

10- viuss izR;sd vf/kdkjh vkSj deZpkjh }kjk izkIr ekfld ikfjJfed] ftlesa mlds fofu;eksa esa dFkkmicaf/kr izfrdj dh iz.kkyh lfEefyr gks

प्राविधिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्तों का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त परिषद के कर्मचारियों को

परीक्षाफल निर्माण से सम्बन्धित कुछ कार्यों को सम्पन्न करने के लिये शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार पारिश्रमिक/मानदेय की व्यवस्था भी है।

11- lHkh ;kstukvksa] iLrkfor O;;ksa vkSj fd;s x;s lforj.kksa ij fjiksVksa dh fof'kf"V;k] minf'kr djrs gq, viuh iR;sd vfHkdj.k dks vkoafVr ctV

प्राविधिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि के भुगतान सहित प्राविधिक शिक्षा परिषद के विभिन्न कार्यों जैसे प्रश्नपत्र निर्माण, मुद्रण, लेखन सामग्री मुद्रण, उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन, परीक्षाफल निर्माण, अंकपत्र डिप्लोमा प्रमाणपत्र आदि का मुद्रण एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों के संचालन हेतु शासन द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर के माध्यम से बजट आवंटित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 हेतु आवंटित बजट एवं व्यय का विवरण संलग्नक के अनुसार है।

12- lgkf;dh dk;Øeksa ds fu"iknu dh jhfr ftlesa vkoafVr jkf'k vkSj ,sls dk;Øeksa ds ykHkkfFk;ksa ds C;kjs lfEefyr gSa

प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा ऐसे किसी सहायिकी कार्यक्रमों का निष्पादन नहीं किया जाता जिसमें अलग से धनराशि आंवटित हो और ऐसे कार्यक्रमों से कुछ लोगों को लाभान्वित किये जाने की व्यवस्था हो। उल्लेखनीय है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद को आवंटित किये जाने वाला बजट परिषद की परीक्षाओं से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु होता है।

13- viuh }kjk vuqnRr fj;k;rksa] vuqKki=ksa ;k vf/kdkjksa ds izkIrdrkZvksa dh fof'kf"V;k

प्राविधिक शिक्षा परिषद के मुख्य कार्य परीक्षाओं का सम्पादन, सफल अभ्यर्थियों को डिप्लोमा प्रमाणपत्र प्रदान करना, संस्थाओं की सम्बद्धता जारी करना, पाठ्यचर्या लागू करना आदि जो कि अधिनियम 1962 यथासंशोधित 1974 के प्राविधानों एवं उसकी धारा–23 के शक्ति के अधीन निर्मित विभिन्न विनियमावलियों (जैसा कि बिन्दु–5 में वर्णित है) के प्राविधानों के अनुसार कार्य सम्पादित किये जाते हैं। प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों में उपरोक्त में से किसी प्रकार की रियायतों की व्यवस्था नहीं है।

14- fdlh byDVªkfud :i esa lwpuk ds laca/k esa C;kSjs] tks mlds miyC/k gksa ;k mlds }kjk /kkfjr gksa

प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राविधिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट www.bteup.com. पर उपलब्ध हैं।

15- lpuk vfHkikIr dju d fy; ukxfjdk dk miyC/k lfo/kkvk dh fof'kf"V;k] ftle fdlh iLrdky; ;k okpu d{k d] ;fn ykd mi;kx d fy; vujf{kr g rk] dk;dj.k ?kV lfEefyr g

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं के अन्तर्गत परीक्षाओं से सम्बन्धित गोपनीय सामग्री को छोड़कर किसी भी पत्रावली या अभिलेख के अवलोकित कराये जाने के सम्बन्ध में प्राविधिक शिक्षा परिषद में मांगकर्ता/नागरिकों की सुविधा के अनुसार किसी भी कार्यदिवस को सम्बन्धित अनुभाग द्वारा अवलोकित कराये जाने की व्यवस्था है साथ ही सूचना की मांग किये जाने पर पत्र के माध्यम से सूचना प्रेषित की जाती है। इसके अतिरिक्त अधिकांश सूचनाएं परिषद की वेबसाइट www.bteup.com पर जनसूचनार्थ उपलब्ध है।

16- tu lpuk vf/kdkfj;k d uke] inuke vkj vU; fof'kf"V;k

जनसूचना अधिकारी	–	श्री आर0सी0राजपूत
पदनाम	–	सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
दूरभाष सं0	–	0522–2630243
आवास	–	सचिव आवास, 1, गुरू गोविन्द सिंह मार्ग, बांसमण्डी चौराहा, चारबाग, लखनऊ।

lfpo] ikfof/kd f'k{kk ifj"kn]m0i0]y[kuÅ dk ekg ekpi& 2010 dk 0;; fooj.k ¼vk;ktuRrj½

'kh"kZd ,oa en 2203&rduhdh f'k{kk] 800&vU; 0;;] 03&rduhdh f'k{kk ifj"kn	ctV vkoVu	orZeku ekg dk 0;;	iwoZ ekgksa dk 0;;	Øfed ;ksx	vo'ks"k
1	2	3	4	5	6
01—वेतन	10667000	368761	9884074	10252835	414165
02—मजदूरी	125000	26626	98344	124970	30
03—महंगाई भत्ता	2240000	57465	2587429	2644894	-404894
04—यात्रा व्यय	200000	20533	179419	199952	48
05—स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10000	0	9955	9955	45
06—अन्य भत्ते	1200000	31313	1177773	1209086	-9086
07—मानदेय	450000	7500	442491	449991	9
08—कार्यालय व्यय	300000	0	299983	299983	17
09—विद्युत व्यय	200000	33670	115052	148722	51278
10—जलकर/जलप्रभार	5000	0	5000	5000	0
11—लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	25000	4837	20147	24984	16
12—कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5000	5000	0	5000	0
13—टेलीफोन पर व्यय	55000	0	54868	54868	132
15—गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	80000	10026	69964	79990	10
16—व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	10000	0	9794	9794	206
18—प्रकाशन	3000000	1750	2998250	3000000	0
22—आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	10000	0	9999	9999	1
29—अनुरक्षण	20000	3661	16328	19989	11
42—अन्य व्यय	5000000	0	4999971	4999971	29
44—प्रशिक्षण व्यय	0	0	0	0	0
45—अवकाश यात्रा व्यय	3000	0	2247	2247	753
46—कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1000	0	996	996	4
47—कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	88000	1856	86134	87990	10
49—चिकित्सा व्यय	173000	117057	52285	169342	3658
51—वर्दी व्यय	32000	0	5240	5240	26760
;ksx	23873000	690055	23125743	23815798	57202